



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूर
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं. : 1731 का संशोधन सहित नवीकरण

Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1731

विषय / Sub: चेतक हेलिकॉप्टर हेतु एरो मसिल ट्यूब टायर साईज़ (355 X 150 – 4 पीआर)

पार्ट सं.: एस्के - 0922

Aero Muscle Tube Tyre Size (355 X 150 – 4 PR) for Chetak Helicopter,
Part Number: SK – 0922

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स एम आर एफ लिमिटेड, सं.124, ग्रीम्स रोड, चेन्नई-600 006, द्वारा उत्पादित " एरो मसिल ट्यूब टायर साईज़ (355 X 150 – 4 पी आर) " पार्ट सं. एस्के - 0922 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1731, दिनांक 13 सितंबर 2012, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1731 जारी किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2017 तक है।

This is to state that the "Aero Muscle Tube Tyre Size (355 X 150 – 4PR)" bearing the Part Number: SK – 0922, manufactured by M/s MRF Limited, No. 124, Greams Road, Chennai – 600 006 was issued with Type Approval Number: 1731 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA –1731, dated: 13th September 2012 and with its validity up to 30th June 2017.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जून 2017 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 मई 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (हेलिकॉप्टर), सेमिलैक, बेंगलूर – 560 017, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st July 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th June 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Helicopter), CEMILAC, C/o Helicopter Division, M/s Hindustan Aeronautics Limited, Bengaluru – 560 017, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

पृष्ठ/Page 01 of 02

AM
11/11/17



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं. : 1731 का संशोधन सहित नवीकरण

Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1731

विषय / Sub: चेतक हेलिकॉप्टर हेतु एरो मसिल ट्यूब टायर (ट्यूब लेस) साईज़ (355 X 150 – 4 पी आर)

पार्ट सं.: एस्के - 0992

Aero Muscle Tube Tyre (Tube Less) Size (355 X 150 – 4 PR)
for Chetak Helicopter, Part Number: SK – 0992

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स एम आर एफ लिमिटेड, सं.124, ग्रीम्स रोड, चेन्नई-600 006, द्वारा उत्पादित " एरो मसिल ट्यूब टायर (ट्यूब लेस) साईज़ (355 X 150 – 4 पी आर) " पार्ट सं. एस्के - 0992 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1731, दिनांक 13 सितंबर 2012, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1731 जारी किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2017 तक है।

This is to state that the "Aero Muscle Tube Tyre (Tube Less) Size (355 X 150 – 4PR)" bearing the Part Number: SK – 0992, Manufactured by M/s MRF Limited, No. 124, Greams Road, Chennai – 600 006 was issued with Type Approval Number: 1731 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA –1731, dated: 13th September 2012 and with its validity up to 30th June 2017.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जुलाई 2017 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 30 जून 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (हेलिकॉप्टर), सेमिलैक, बेंगलूरु – 560 017, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st July 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th June 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Helicopter), CEMILAC, C/o Helicopter Division, M/s Hindustan Aeronautics Limited, Bengaluru – 560 017, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1731, दिनांक 13 सितंबर 2012 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC / 5070/TA-1731, dated: 13th September 2012 is amended as stated herewith.


“ [अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”


“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.

सं. / No.: सेमिलैक /CEMILAC/ 5070 /टी.ए /TA-1731/R1
दिनांक / Date : 30 June 2017
फैक्स सं./ Fax No: 080 – 25230856


(पी . जयपाल / P. JAYAPAL)
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) /
Chief Executive (Airworthiness)


०१ -